अनुदान संख्या 43 - मत्स्य पालन विभाग
GRANT No. 43 - DEPARTMENT OF FISHERIES

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	2597,44,00	2597,45,00	1122,63,79	-1474,81,21
पूरक	Supplementary	1,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				1465,13,97
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	19,00,00	19,01,00	5,28,38	-13,72,62
पूरक	Supplementary	1,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				13,44,10

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads: -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय – आर्थिक सेवाएँ	Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	6712.00	3048.04	2981.26	-66.78
पु.	R.	-3663.96			

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "2405"	Major Head "2405"				
मत्स्य पालन	Fisheries				
मू.	O.	60639.00			
पू.	S.	1.00	45730.99	45013.66	-717.33
पु.	R.	-14909.01			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	23598.00	54.58	..	-54.58
पु.	R.	-23543.42			
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"				
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	159846.00	60795.42	60673.54	-121.88
पु.	R.	-99050.58			
मुख्य शीर्ष "3602"	Major Head "3602"				
विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to Union Territory Governments with Legislature				
मू.	O.	8949.00	3602.00	3595.33	-6.67
पु.	R.	-5347.00			

(I) ₹23598.00 लाख का प्रावधान मुख्य शीर्ष "2552" के अंतर्गत निम्नलिखित तीन शीर्षों के अंतर्गत पूरी तरह से अप्रयुक्त रहाः—

(का) "मत्स्य पालन – समुद्री मत्स्य पालन – प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना" – ₹11391.00 लाख; और

(खा) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना" – ₹10329.00 लाख।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों में किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रह गया।

(गा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना" – ₹1878.00 लाख प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण।

(II) मुख्य शीर्ष "3451" – "सचिवालय – मत्स्य पालन विभाग" के अंतर्गत ₹3730.74 लाख की बचत (₹6712.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरने, अंतरिक्ष विभाग द्वारा ओशनसैट उपग्रह की आवश्यकता में संशोधन किए जाने और मितव्ययिता उपायों के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "2405" के अंतर्गत बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः—

(का) "समुद्री मत्स्य पालन" –

(क) "प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना" – ₹8017.18 लाख की बचत (दिसंबर, 2024 में प्राप्त किए गए ₹0.51 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹40429.51 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा नयी निधि प्रवाह तंत्र (स्पर्श/सीएसएनए) के अनुपालन में देरी और कम प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण हुई।

(I) Provision of ₹23598.00 lakhs remained wholly unutilised under Major Head "2552" - under the following three heads: -

(A) "Fisheries - Marine Fisheries - Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana"- ₹11391.00 lakhs; and

(B) "Tribal Area Sub-Plan - Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana" - ₹10329.00 lakhs.

Provision under the above two heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of balance amount.

(C) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana" - ₹1878.00 lakhs - due to non-receipt of proposals.

(II) Under Major Head "3451" - "Secretariat - Department of Fisheries" - saving of ₹3730.74 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6712.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, revision of requirement by Department of Space for OCEANSAT satellite and economy measures.

(III) Under Major Head "2405" - savings occurred under the following heads: -

(A) "Marine Fisheries" -

(a) "Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana" - saving of ₹8017.18 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹40429.51 lakhs including token supplementary grant of ₹0.51 lakh obtained in December, 2024) was due to delay in compliance by States/UTs of the new Fund Flow Mechanism (SPARSH/CSNA) and receipt of less proposals.

(ख) "मत्स्य पालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास निधि" – ₹1175.49 लाख की बचत (दिसंबर, 2024 में प्राप्त किए गए ₹0.49 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹3000.49 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा नयी निधि प्रवाह तंत्र (स्पर्श/सीएसएनए) के अनुपालन में देरी, कम प्रस्तावों की प्राप्ति और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(b) "Fisheries and Aquaculture Infrastructure Development Fund" - saving of ₹1175.49 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹3000.49 lakhs including token supplementary grant of ₹0.49 lakh obtained in December, 2024) was due to delay in compliance by States/UTs of the new Fund Flow Mechanism (SPARSH/CSNA), receipt of less proposals and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(ग) "मत्स्य संस्थान" – ₹4374.61 लाख की बचत (₹12582.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरने और ड्राई डॉकिंग आवश्यकताओं के कारण 12 मछली पकड़ने वाले सर्वेक्षण जहाजों के गैर–प्रचालन के कारण हुई।

(c) "Fisheries Institutes" - saving of ₹4374.61 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12582.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and non-operationalization of 12 fishing survey vessels owing to dry docking requirements.

(घ) "राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड" – ₹528.00 लाख की बचत (₹1678.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरने तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा नई निधि प्रवाह तंत्र (स्पर्श/सीएसएनए) के अनुपालन में देरी के कारण हुई।

(d) "National Fisheries Development Board" - saving of ₹528.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1678.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and delay in compliance by states/UTs of the new fund flow mechanism (SPARSH/CSNA).

(खा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना" – ₹1252.00 लाख की बचत (₹1752.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(B) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana" - saving of ₹1252.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1752.00 lakhs);

(IV) मुख्य शीर्ष "3601" – "केन्द्र प्रायोजित योजनाएं" के अंतर्गत बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:–

(IV) Under Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes" - savings occurred under the following heads:-

(का) "केंद्रीय सहायता/हिस्सा – प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना" – ₹75575.92 लाख की बचत (₹114431.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(A) "Central Assistance/Share - Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana" - saving of ₹75575.92 lakhs (against the sanctioned provision of ₹114431.00 lakhs);

(खा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना" – ₹28926.32 लाख की बचत (₹35401.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(B) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana" - saving of ₹28926.32 lakhs (against the sanctioned provision of ₹35401.00 lakhs); and

(V) मुख्य शीर्ष "3602" – "केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ – केन्द्रीय सहायता/हिस्सा – प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना" के अंतर्गत ₹4651.32 लाख की बचत (₹7947.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(V) Under Major Head "3602" - "Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share - Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojna" - saving of ₹4651.32 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7947.00 lakhs).

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत बचत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा नई निधि प्रवाह प्रणाली (स्पर्श/सीएसएनए) के अनुपालन में देरी के कारण हुई।

Savings under the above four heads were due to delay in compliance by States/UTs of the new Fund Flow Mechanism (SPARSH/CSNA).

(VI) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹702.35 लाख की बचत हुई, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक तथा स्वीकृत प्रावधान का 55 प्रतिशत और 86 प्रतिशत थी।

(VI) Under two heads savings of ₹702.35 lakhs occurred each exceeding ₹250.00 lakhs and constituting 55 percent and 86 percent of the sanctioned provision.

2. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "3601" – "केंद्र प्रायोजित योजनाएं – जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं। ₹5329.78 लाख का अधिक व्यय (₹10014.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उत्तर पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों में किए जाने के कारण हुआ।

2. The above savings were partly offset by excess under Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes - Tribal Area Sub-Plan - Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojna" - excess of ₹5329.78 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10014.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईः–

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4405"	Major Head "4405"				
मत्स्य पालन पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Fisheries				
मू.	O.	1720.00			
पू.	S.	1.00	380.90	357.89	-23.01
पु.	R.	-1340.10			

(I) "समुद्री मत्स्य पालन – मत्स्य पालन संस्थान" – ₹1418.45 लाख की बचत (₹1720.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सीपीडब्ल्यूडी द्वारा निधियों का उपयोग न करने, अनुमोदन में देरी की वजह से इन्वेंट्री की खरीद न करने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(I) Under "Marine Fisheries - Fisheries Institutes"- saving of ₹1418.45 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1720.00 lakhs) was due to non-utilization of funds by CPWD, non-purchase of inventory owing to delay in approvals and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.